PCSMANTRA.COM

इडुक्की में वीबी-जी राम जी योजना के तहत पहली बार फायरलाइन परियोजना

समाचार: 19 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 19 नवंबर 2026
मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन III (पर्यावरण, ग्रामीण विकास); प्रिलिम्स: वीबी-जी राम जी योजना, वन-अग्नि प्रबंधन, केरलम



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबर क्या है

अधिकारियों के अनुसार केरलम के इडुक्की जिले के एलमदेशम ब्लॉक के वन्नप्पुरम ग्राम पंचायत में वीबी-जी राम जी योजना के तहत पहली बार फायरलाइन परियोजना लॉन्च की गई है। परियोजना वन विभाग के सहयोग से लागू की गई है, जिसका उद्देश्य जलवायु-लचीलापन (क्लाइमेट रेज़िलिएंस) बढ़ाना और वन-अग्नि रोकना है।

फायरलाइन क्या होती है

फायरलाइन वन और आसपास के क्षेत्रों या सड़कों के बीच वनस्पति काटकर हटाई गई एक साफ पट्टी (cleared strip) होती है। अग्नि के फैलने पर यह पट्टी आग को आगे बढ़ने से रोकने में मदद करती है, क्योंकि उसमें जलने योग्य वनस्पति नहीं रहती। वन-अग्नि प्रबंधन में यह एक मानक निवारक तकनीक है।

परियोजना के प्रमुख तथ्य

- **स्थान:** वन्नप्पुरम ग्राम पंचायत, एलमदेशम ब्लॉक, इडुक्की जिला (केरलम); कार्य मुल्लारिंगाड वन रेंज में चल रहा है, यह राज्य के सर्वाधिक वन-अग्नि-प्रवण क्षेत्रों में से एक है।
- **दो फायरलाइनें:** टीक प्लांटेशन-कंजिरप्पारा और एलाव प्लांटेशन-पोट्टा क्षेत्रों में।
- **लागत और रोज़गार:** संयुक्त बीडीओ के बयान के अनुसार एलाव प्लांटेशन-पोट्टा खंड की अनुमानित लागत ₹2,24,458, 547 मानव-दिवस (मैन-डेज़), 17 श्रमिक; टीक प्लांटेशन-कंजिरप्पारा खंड की अनुमानित लागत ₹2,24,548, 547 मानव-दिवस, 15 श्रमिक।
- **लंबाई:** दोनों खंडों से मिलकर कुल 6 किलोमीटर की फायरलाइन बनेगी।
- **पहली बार का महत्व:** अधिकारियों के अनुसार इससे पहले फायरलाइन-संबंधी कार्य वीबी-जी राम जी योजना में शामिल नहीं थे; योजना का उपयोग अब जलवायु-लचीलापन और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हो रहा है।

- **विस्तार:** एलमदेशम ब्लॉक की तीन और वन-सीमावर्ती पंचायतों, उडुम्बन्नूर, करिमन्नूर और वेल्लियामट्टम, में यह परियोजना लागू होगी; सफलता के बाद इडुक्की जिले के अझुता, इडुक्की, थोडुपुझा और देविकुलम ब्लॉकों तक विस्तार का निर्णय हुआ है।

> **यह भी पढ़ें:** VB-G RAM G: बिहार के 38 जिलों में काम पर लगी रोक हटी

योजना की पृष्ठभूमि

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के स्थान पर आया ग्रामीण रोज़गार-गारंटी कानून है। इसके तहत पंचायत-स्तरीय रोज़गार-कार्यों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा दी जाती है। (साइट पर योजना का विस्तृत लेख पहले से उपलब्ध है, यह लेख उसका अनुपूरक है।)

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

- प्रिलिम्स: फायरलाइन की परिभाषा, वीबी-जी राम जी में पहली फायरलाइन (इडुक्की, केरलम), मैन-डेज़ का विवरण।
- मुख्य परीक्षा: रोज़गार-गारंटी योजनाओं का पर्यावरण-कार्यों से जुड़ाव, समेकित विकास (convergence) का उदाहरण; GS-III (पर्यावरण + ग्रामीण विकास) में उपयोगी।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. फायरलाइन (fireline) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: यह वन और आसपास के क्षेत्रों के बीच वनस्पति हटाकर बनाई गई साफ पट्टी होती है।

कथन 2: इसका उपयोग वन-अग्नि के फैलाव को रोकने के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

▼ उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (c)

फायरलाइन वन और आसपास के क्षेत्रों/सड़कों के बीच वनस्पति काटकर बनाई गई साफ पट्टी है, जो जलने योग्य सामग्री की अनुपस्थिति में आग के फैलाव को रोकती है, यह वन-अग्नि प्रबंधन की मानक निवारक तकनीक है।

प्रश्न 2. वीबी-जी राम जी योजना के तहत पहली फायरलाइन परियोजना कहाँ लागू की गई?

(a) वायनाड, केरलम

(b) इडुक्की, केरलम

(c) नीलगिरि, तमिलनाडु

(d) शिमला, हिमाचल प्रदेश

▼ उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (b)

यह परियोजना इडुक्की जिले के एलमदेशम ब्लॉक की वन्नप्पुरम ग्राम पंचायत (मुल्लारिंगाड वन रेंज) में वन विभाग के सहयोग से शुरू हुई; दो फायरलाइनों से कुल 6 किलोमीटर की पट्टी बनेगी।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"रोज़गार-गारंटी योजनाओं को जलवायु-लचीलापन और पर्यावरण-संरक्षण कार्यों से जोड़ना समेकित विकास (convergence) की दिशा में सार्थक कदम है।" इडुक्की में वीबी-जी राम जी योजना के तहत लागू पहली फायरलाइन परियोजना के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:

इडुक्की (केरलम) की वन्नप्पुरम ग्राम पंचायत में वीबी-जी राम जी योजना की पहली फायरलाइन परियोजना का परिचय; वन-अग्नि-प्रवण मुल्लारिंगाड रेंज का संदर्भ।

मुख्य भाग में:

(क) समेकन का मॉडल - रोज़गार-गारंटी योजना और वन विभाग का सहयोग; दो फायरलाइनों से 1,094 मानव-दिवस और 6 किमी सुरक्षित पट्टी; (ख) जलवायु-लचीलापन और वन-अग्नि जोखिम-न्यूनीकरण में फायरलाइन की भूमिका तथा सीमाएँ (ईंधन-नियंत्रण मात्र, रखरखाव आवश्यक); (ग) प्रतिकृति की संभावना - तीन वन-सीमावर्ती पंचायतों और चार ब्लॉकों में विस्तार का निर्णय; (घ) चुनौतियाँ - रखरखाव, नियमित निगरानी, सामुदायिक भागीदारी।

निष्कर्ष में:

रोज़गार-सुरक्षा और पारिस्थितिक-सुरक्षा का यह संगम समेकित विकास का जीवंत उदाहरण है; दीर्घकालिक सफलता रखरखाव और सामुदायिक सहभागिता पर निर्भर करेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्या फायरलाइन वन-अग्नि को पूरी तरह रोक देती है?

नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती। ईंधन (वनस्पति) हटाने से फायरलाइन आग के फैलने की संभावना घटाती है, परंतु चिंगारी और तेज़ हवा आग को पट्टी के पार ले जा सकते हैं। अमेरिकी वन सेवा (यूएसडीए) के अग्नि-प्रबंधन मार्गदर्शन के अनुसार साफ या पतली की गई फ्यूल-ब्रेक अक्सर अपने आप फैलाव नहीं रोक पातीं, इनकी प्रभावशीलता मौसम, चौड़ाई, रखरखाव और दमन कर्मियों की मौजूदगी पर निर्भर करती है (स्रोत नीचे सूचीबद्ध)।

रोज़गार-गारंटी योजनाओं में 'मानव-दिवस' (मैन-डे) का क्या अर्थ है?

एक श्रमिक द्वारा एक दिन किया गया कार्य एक मानव-दिवस गिना जाता है, यानी कुल मानव-दिवस = श्रमिकों की संख्या × काम के दिन। यही इकाई रोज़गार-गारंटी योजनाओं में सृजित रोज़गार मापने और मज़दूरी-बजट आँकने के लिए उपयोग होती है।

स्रोत

- www.thehindu.com
- research.fs.usda.gov
- www.fs.usda.gov

PCSMANTRA.COM